कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मई २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

i. सिविल सेवा परीक्षा-2017 द्वारा संस्तुत किए गए प्रथम 20 उम्मीदवारों का पारस्परिक संवाद एवं बधाई समारोह दिनांक 1.5.2018 को, माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक एवं पेंशन) की उपस्थिति में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

ii. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया और दिनांक 16.05.2018 से 31.5.2018 के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियां शुरू की।

iii. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के प्रावधानों के मद्देनज़र सीसीएस (छुट्टी) नियमावली 1972 के नियम 3, 7, 12, 14, 19 एवं 20 में संशोधन किए गए। संशोधित नियम के अनुसार स्थायी तौर पर दिव्यांग कर्मचारियों के छुट्टी खाते से घटाई गई छुट्टी, उनके खाते में वापस दर्ज कर दी जाएगी, ऐसी छुट्टी को न तो अस्वीकार किया जा सकता है और न ही प्रतिसंहरण। नियम 20 के अंतर्गत फार्म 3 के पश्चात फार्म 3क ऐसी छुट्टी को संस्तुति करने हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अत:स्थापित किया गया था।

iv. संवर्ग समीक्षा कैलेंडर दिनांक 25.05.2018 को जारी किया गया है तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

v. रेल मंत्रालय के अंतर्गत आठ संगठित समूह 'क' सेवाओं की संवर्ग समीक्षा संबंधी प्रस्तावों को राज्य मंत्री (कार्मिक एवं पेंशन) एवं वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। रेल मंत्रालय को मंत्रिमंडल के अंतिम अनुमोदन हेतु एक मंत्रिमंडलीय टिप्पणी तैयार करने के लिए कहा गया है।

vi. दिनांक 14.5.2018 के आदेश 39021/03/2018-स्थापना (ख) के तहत श्री असीम खुराना, अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकाल को पुनर्नियोजन आधार पर 12.5.2018 से एक वर्ष की अवधि अथवा अंतिम आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए, बढ़ाने से संबंधित सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया गया।

vii. सीएसओआई, विनय मार्ग, नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

viii. पीईएसबी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष के 5 (पांच) पदों एवं निदेशक के 20 (बीस) पदों को विज्ञापित किया है।

ix. दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था.(वेतन-।।) द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति दिशानिर्देशों के पैरा 8.1 एवं 8.2 में दिनांक 18.05.2018 के आदेश सं. 2/6/2018 स्था.(वेतन-।।) के तहत संशोधन किया गया है। प्रतिनियुक्ति/संवर्ग बाह्य सेवा की अवधि को मौजूदा 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, यदि संवर्ग बाहय पद के कार्यकाल के संबंध में कोई विनियम मौजूद न हो। साथ ही, प्रशासनिक मंत्रालय/प्रतिनियुक्ति पर लेने वाला संगठन अपने सचिव (केंद्र सरकार में)/मुख्य सचिव (राज्य सरकार में)/समतुल्य अधिकारी (अन्य मामलों के संबंध में) का आदेश प्राप्त करने के पश्चात अब छठे वर्ष तक और प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले मंत्रालय/विभाग के मंत्री के अनुमोदन से सातवें वर्ष तक प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ा सकता है।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त इस विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं :-

क. सातवें वेतन आयोग से संबंधित विसंगतियों को प्राप्त करने एवं उनका निपटान करने के लिए समय-सीमा को बढ़ना।

ख. रेल यात्रा के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किराया नहीं लिया जाता है। अत: एलटीसी पर हवाई यात्रा के लिए गैर-हकदार सरकारी कर्मचारियों के पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की हवाई यात्रा के संबंध में सरकारी कर्मचारियों को कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। फिर भी, ये प्रावधान उन खंडों (सेगमेंट) में लागू नहीं होंगे जहां गैर-हकदार कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को

समय-समय पर मौजूद विशेष छूट योजना के अधीन हवाई यात्रा स्वीकृत की गई है। दिनांक 16.05.2018 के का.ज्ञा. सं. 31011/3/2016-स्था.ए-IV के तहत स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

ग. दिनांक 8.5.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/14/2018 के तहत मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे मौजूदा भर्ती नियमों/सेवा नियमों, जिनमें पिछले पांच वर्षों में संशोधन नहीं हुआ की तत्काल समीक्षा करें तथा इस प्रकार की गई समीक्षा के परिणामों से इस विभाग को अवगत करवाएं।

घ. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का कार्यान्वयन।

ङ. मेज़र ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आओ और खेलो योजना में तैराकी सुविधा भी शामिल की गई है।

च. दिनांक 15.05.2018 के का.ज्ञा. सं. 36036/3/2018 स्था.(आरक्षण) के अंतर्गत जारी अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी अनुदेशों की पुनरावृत्ति।

छ. माननीय उच्च न्यायलय दिल्ली ने दिनांक 01.10.2014 के आदेश के तहत रिट याचिका (सी) सं. 4067/2014 एवं रिट याचिका (सी) सं. 4073/2014 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.04.2012 के उस का.ज्ञा. को मंसूख कर दिया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि संगठित समूह 'क' को उपलब्ध एनएफयू का लाभ उन संगठित सेवाओं अधिकारियों के लिए लागू नहीं है जहां एफसीएस एवं डीएसीपी स्कीमें पहले से ही चल रही हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.04.2012 के का.ज्ञा. सं. एबी-14017/39/2009 स्था.(आरआर) को गैर-स्थापना अनुदेश घोषित करने वाले अनुदेश दिनांक 03.05.2018 के का.ज्ञा. सं. सीएस 14017/1/2018-स्था (आरआर) के तहत जारी किये गए थे।